

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ. 2 (ग) (1) अलेसे-11/

दिनांक :- 17 जुलाई 2013

आदेश संख्या 165 /2013-14

निम्नांकित लेखाकर्मियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित विभाग/ कार्यालय में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र. सं.	लिक नम्बर	नाम लेखाकार	वर्तमान विभाग/ कार्यालय का नाम	नवीन पदस्थापन विभाग/ कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	618	राजगोपाल शर्मा सहायक लेखाधिकारी	अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, जिला वृत्त जयपुर	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरज मैनेजमेंट बोर्ड जयपुर	रिक्त पद पर
2.	6768	हरिशंकर नारायण सहायक लेखाधिकारी	नगर सुधार न्याया, आवू रोड, सिरोंही	मण्डल वन अधिकारी सिरोंही	रिक्त पद पर
3.	1124	फतेहसिंह गम्भीर सहायक लेखाधिकारी	उपकोषाधिकारी, छीपावडोद, जिला बांरा	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, कोटा	नवसजित पद पर
4.	2730	सत्यप्रकाश पारीक, सहायक लेखाधिकारी	कोपालय बांरा	उपकोषाधिकारी, छीपावडोद, जिला बांरा	श्री गम्भीर के स्थान पर
5.	816	रवीन्द्र मोहन माथुर लेखाकार	निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर	सहायक आयुक्त-प्रथम देवरथान विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
6.	1471	रतनलाल लेखाकार	जिला परिवहन अधिकारी, डीडवाना जिला नागौर	आर.यू.आई.डी.पी, सीकर	रिक्त पद पर
7.	1671	गिराज प्रसाद गीणा लेखाकार	पंचायत समिति, बराना जिला भरतपुर	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नादोली, जिला करौली	रिक्त पद पर
8.	9197	रामचन्द्र कुमार चौधरी कनिष्ठ लेखाकार	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, रामगढ़ जिला अलवर	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलवर	रिक्त पद पर
9.	5560	मुकेश कुमार कनिष्ठ लेखाकार	उपकोषालय, पीपलखूँट, जिला प्रतापगढ़	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर	रिक्त पद पर


निदेशक

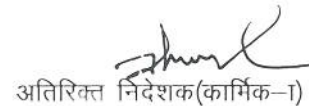
क्रमांक: एफ. 2 (ग) (1) अलेसे-11/

3828-58

दिनांक :- 17 जुलाई 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर
- कोषाधिकारी
- विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
.....को प्रेषित कर लेख है कि वे कृपया संबंधित लेखाकर्मियों को उक्त आदेश की अनुपालना में अविलम्ब कार्यमुक्त कर/कार्यग्रहण करा इस विभाग को सूचित करावे।
- श्री सहायक लेखाधिकारी/ लेखाकार/ कनिष्ठ लेखाकार विभाग/ कार्यालय.....को प्रेषित कर निदेशित किया जाता है कि वे नवपदस्थापित स्थान पर अविलम्ब कार्यग्रहण कर सूचित करें। 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण सूचना प्राप्त नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।
- उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिफाईल संस्कारण हेतु
- निजी सहायक निदेशक


अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)